

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील टिब्बी के चक नम्बर 654 आरडी जमाबन्दी सम्पत्त 2070-73 खाता संख्या 191/174 में प.नं. 222/319 (105) कि.नं. 15 ता 18 प्रत्येक सालम प.नं 223/319 (106) कि.नं. 9 ता 13, 18 ता 20 प्रत्येक सालम कि.नं. 21/1/088, 22/1/089, 23/1/088 है. कुल 3.301 है. कृषि भूमि के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन कर घक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 191/174 से प्रतिवादी संख्या 1 सुरजीत का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुये उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैंसलशुमार होकर बाद तर्तीब तकमील दखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
 सहायक कलक्टर
 पंचायत समिति, टिब्बी
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी